

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका सं० : 15/औ०-03-01/2026 -/स्वा०, पटना, दिनांक-.....2026

श्रीमती सरोज कुमारी, सहायक औषधि नियंत्रक, शेखपुरा के दिनांक-31.05.2026 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सहायक औषधि नियंत्रक शेखपुरा के रिक्त पद पर औषधि नियमावली, 1945 के नियम-59(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक औषधि नियंत्रक, जमुई को सहायक औषधि नियंत्रक, शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-03-01/2026.614(15A)/स्वा०, पटना, दिनांक-07.07.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, जमुई एवं शेखपुरा/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक औषधि नियंत्रक, जमुई/सभी औषधि निरीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।